AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

Hkkjr vkSj 'kj.kkFkhZ leL;k

ORIGINAL ARTICLE

Authors

izks- fxjh'k dkar ik.Ms;
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, रक्षा अध्ययन विभाग

M,- çoh.k dM+o]
सहायक प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन विभाग,

M,- xhrkatfy pUækdj]
रक्षा अध्ययन विभाग,

शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

'kks/k lkj

,frgkfld :i ls Hkkjr esa dÃ iM+kslh ns'kksa ds 'kj.kkFkhZ;ksa vk, gSA 'kj.kkFkhZ jkT; dh fy;s ,d leL;k cu tkrs gSa D;ksafd blls ns'k ds lalk/kuksa ij vfrfjDr ck> c<+ tkrk gS lkFk gh vFkZO;oLFkk esa tulkaf[;dh; ifjorZu esa of) dj ldrk gS] blds vfrfjä lqj{kk tksf[ke Hkh mRiUu gks ldrk gSA Hkkjr esa 'kj.kkFkhZ;ksa dh leL;k foHkktu ds ckn 'kq: gqÃ vkSj blds ckn Hkkstu] vkJ;] nok] LoPNrk tSlh cqfu;knh t:jrksa ls ysdj vius ekrHkwfe dks [kksus dh Hkkoukred mFky&iqFky rd dÃ eqíks dk lkeuk djuk iM+kA blls lhekvksa ds nckoksa vkSj 'kj.kkFkhZ;ksa esa oeuL; dh Hkkouk Hkh iSnk gks xÃ] tks viuus udlku ds fy, nqljs jk"V ds ykxksa dks ftEesnkj ekurs gSA gkykafd 'kj.kkFkhZ;ksa dh nq[kHkjh ekuoh;dj.k çfreku dk eq[; ?kVd gSA blds vykok fdlh Hkh fLFkfr esa Hkkjr esa 'kj.kkFkhZ çokl ds Hkw&jktuhfrd] vkfFkZd] tkrh; vkSj èkkfeZd lanHkksZa dks ns[krs gq,] blds tYn lekfIr dh lEHkkouk ugÈ fn[kk jgh gSA

eq[; 'kCn
'kj.kkFkhZ;ksa] 'kj.k ,oa lqj{k.k] vkJ;A

çLrkouk

शरणार्थी यानि शरण में उपस्थित असहाय, लाचार, निराश तथा रक्षा चाहने वाले व्यक्ति या उनके समूह को कहते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति विशेष या उनका समूह जो किसी भी कारण वश अपना घरबार या देश छोड़कर अन्यत्र को शरणागत हो जाता है, वह शरणार्थी कहलाता है। उदाहरण के लिए सीरिया में जंग छिड़ने के कारण से वहां के लाखों नागरिक दूसरे मुल्क में शरणार्थी बनकर शरण ले रहे हैं।

दो तिहाई से ज्यादा शरणार्थी सिर्फ 5 देशों से आते हैं जिनमें सीरिया 67 लाख, अफगानिस्तान 27 लाख, दक्षिण सूडान 23 लाख, म्यांमार 11 लाख और सोमालिया 9 लाख जैसे देश शामिल है। UNHCR की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में सिर्फ 3 प्रतिशत शरणार्थी ही अपने देशो में वापस लौटे हैं।

भारत में शरणार्थियों के आने का इतिहास बहुत पुराना है और भारत में बसे कानूनी और गैर कानूनी शरणार्थियों की संख्या कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। आमतौर पर अनभिज्ञतावश लोग भारत

और पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब, सिंध प्रदेशों से लाखों लोगों जो अपना घर बार छोड़कर भारत के विभिन्न भागों में आकर बस गए थे उन्हें भी शरणार्थी मान लेते हैं, परंतु यह घटना पूर्ण रूप से शरणार्थी शब्द को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से भागकर भारत में बस गए उन्हें यहां एक नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार विभाजन के समय दिया गया था। भारत में विभाजन के बाद आए लोगों को छोड़ दें तो आजादी के बाद काफी शरणार्थी आए, उदाहरण के लिए तिब्बत के शरणार्थी और बांग्लादेश से आए कानूनी और गैर कानूनी शरणार्थी।

भारत में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR, India) ने मार्च 2022 तक म्यांमार, अफगानिस्तान और अन्य देशों से लगभग 48000 शरणार्थी और शरण चाहने वालों को पंजीकृत किया है और साथ ही 58000 से अधिक श्रीलंकाई शरणार्थी और 72000 से अधिक तिब्बती शरणार्थी हैं।

'kj.kkFkÊ ladV ds dkj.k

- संघर्ष।
- हिंसा।
- युद्ध।
- बढ़ती अमीरी गरीबी।
- आंतरिक अस्थिरता।
- बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप।
- आने वाले समय में प्राकृतिक प्रकोप जैसे कारण भी शरणार्थी संकट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

'kj.kkFkÊ ladV dk vlj

- मानव अधिकारों का हनन।
- मानव तस्करी।
- पहचान का संकट।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा (आतंकवाद)।
- राजनीतिक अस्थिरता।
- अराजकता।
- अलगाववाद की समस्या।
- इसके अलावा शरणार्थियों को रास्ते में कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जिससे उनकी जान भी चली जाती है।

'kj.kkFkÊ ladV ds fy, dkuu

शरणार्थियों पर उस देश का कानून लागू नहीं होता जिसमें वह प्रवेश करता है। इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियम व कानून लागू होता है। 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन एक ऐसा अंतरर्राष्ट्रीय कानून है जो शरणार्थियों को परिभाषित करता है। इस कन्वेंशन के मुताबिक इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों पर शरण देने वाले व्यक्तियों के लिए सभी कानूनी सुरक्षा, सहायता और सामाजिक अधिकारों का पालन करना होता है। मौजूदा वक्त में कुल 140 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में ना तो शरणार्थी कन्वेंशन 1951 पर हस्ताक्षर किए हैं और ना ही शरणार्थी कन्वेंशन से जुड़े 1967 के प्रोटोकॉल पर।

la;ä jk"V 'kj.kkFkÊ ,tlh (UNHCR) ds dN egRoi.k vkdM

UN की रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के मुताबिक उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के चलते दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 8 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। वैश्विक रूप से प्रत्येक 108 लोगों में से एक

व्यक्ति शरण तलाशने वाला (Asylum Seeker) है, आंतरिक रूप से विस्थापित (Internally Displaced) या फिर शरणार्थी (Refugee) है।

Hkkjr esa 'kj.kkFkhZ ladV ls tqM+s ekeys

- बंटवारे के बाद आए शरणार्थी।
- तिब्बती शरणार्थी।
- बांग्लादेशी शरणार्थी।
- अफगान शरणार्थी।
- श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी।
- रोहिंग्या शरणार्थी।
- चकमा और हेजोंग शरणार्थी।

cVokjs ds ckn vk, 'kj.kkFkhZ ¼1947½

भारत और पाकिस्तान बंटवारे के दौरान यह इजाजत थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा से दोनों में से किसी भी देश में जाकर बस सकता है, लेकिन जब पाकिस्तान ने जबरन सिखों को वहां से भगाया तो मजबूरन उन्हें शरणार्थी के रूप में भारत में आना पड़ा। हालांकि अब यह सभी लोग भारतीय नागरिक हैं।

frCcrh 'kj.kkFkhZ ¼1959½

1959 में तिब्बती विद्रोह के विफल होने के बाद दलाई लामा भारत आ गए। उस समय वे करीब एक लाख तिब्बती शरणार्थियों को लेकर भारत आए थे। चीनी नीतियों से पीड़ित होकर दलाई लामा और उनके अनुयायियों ने भारत सरकार से राजनीतिक शरण एवं संरक्षण की प्रार्थना की। भारत ने अपनी क्षेत्रीय प्रभु संपन्नता का प्रयोग करते हुए दलाई लामा तथा उनके अनुयायियों को आश्रय प्रदान किया। यह हिमाचल प्रदेश की एक धर्मशाला नामक स्थान में शरणार्थी के रूप में बसाए गए हैं।

ckaXykns'kh 'kj.kkFkhZ ¼1965 vkSj 1971½

1971 में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर ढाए सितम के दौरान करीब 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 80000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक शरणार्थी बनकर रह रहे हैं।

vQxku 'kj.kkFkÊ ¼1980½

1979 से 1989 के बीच करीब 60000 से अधिक अफगानी नागरिकों ने भारत में शरण ली। यह लोग 1979 में अफगानिस्तान पर हुए सोवियत आक्रमण से भारत आए थे। अफगान शरणार्थियों के अभी भी छोटे समूह भारत आते रहते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR की वेबसाइट के अनुसार 1990 के दशक की शुरुआत में अपने घर से भागकर भारत आने वाले कई हिंदू और सिख अफगानों को पिछले एक दशक में नागरिकता प्रदान की गई है। विश्व बैंक और UNHCR की रिपोर्ट से पता चलता है कि मौजूदा वक्त में भारत में 200000 से अधिक अफगान शरणार्थी हैं।

Jhyadkà rfey 'kj.kkFkÊ ¼1980½

भारत में शरणार्थियों के एक बड़े समूह में श्रीलंकाई तमिल शामिल है यह शरणार्थी 1983 के ब्लैक जुलाई दंगों जैसी घटनाओं और पुनीश रंगाई संकरी युद्ध द्वारा जारी भेदभाव पूर्ण नीतियों के कारण भारत आए थे। पहली बार 1983 से 1987 के बीच पाक जलडमरूमध्य को पार कर करीब 1लाख 34 हजार से अधिक संकाय तमिल भारत आए थे, उसके बाद तीन और स्टेज में श्रीलंका भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु कोयंबटूर में कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में व केरला में रह रहे हैं।

jkçgX;k 'kj.kkFkÊ ¼2022½

गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं जो पिछले कई सालों से भूमि मार्ग से बांग्लादेश से भारत पहुंचे हैं। भारत सरकार ने रोहिंग्या को अवैध प्रवासियों और एक सुरक्षा खतरे के रूप में वर्गीकृत किया है साथ ही भारत सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लेने की अपील की है। इसके अलावा रोहिंग्या को अवैध प्रवासियों के रूप में देखते हैं जहां उनके साथ व्यवस्थित तरीके से भेदभाव किया जाता है, अपने देश का नहीं मानती और उन्हें देश की नागरिकता देने से इंकार करती है। इन समस्याओं के चलते ही रोहिंग्या शरणार्थी पहले बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में जाकर रहने लगे हैं।

pdek vkj gstksx 'kj.kkFkÊ ¼1960½

चकमा बौद्ध संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं जबकि हेजोंग आदिवासी समुदाय से आते हैं। चकमा और हेजोंग शरणार्थी पिछले पांच दशक से भारत में रह रहे है औा जूम शरणार्थी पश्चिम बंगाल और नार्थ ईस्ट के इलाकों में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 47471 चकमा अकेले अरूणाचल प्रदेश में रहते हैं। हालांकि साल 2015

में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चकमा और हेजोंग शरणार्थी दोनों को नागरिकता देने का निर्देश दिया था।

Hkkjr esa 'kj.kkFkhZ;ksa dh la[;k 1964 ls 2021 rd

- 2021 के लिए भारत के शरणार्थी आंकड़े 212,413 थे, जो 2020 से 8.72 प्रतिशत अधिक हैं।
- 2020 के लिए भारत के शरणार्थी आंकड़े 195,373 थे, जो 2019 से 0.14 प्रतिशत अधिक हैं।
- 2019 के लिए भारत के शरणार्थी आंकड़े 195,103 थे, जो 2018 से 0.4 प्रतिशत गिरावट हैं।
- 2018 के लिए भारत के शरणार्थी आंकड़े 195,887 थे, जो 2017 से 0.64 प्रतिशत कम हैं।

भारत में शरणार्थीयों की वार्षिक परिवर्तन प्रतिशत

वर्ष	शरणार्थियों को शरण दी	वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन
2021	212,413	8.72 प्रतिशत
2020	195,373	0.14 प्रतिशत
2019	195,103	–0.40 प्रतिशत
2018	195,887	–0.64 प्रतिशत
2017	197,142	–0.36 प्रतिशत
2016	197,848	–1.75 प्रतिशत
2015	201,397	0.72 प्रतिशत
2010	184,814	–0.27 प्रतिशत
2005	139,284	–14.38 प्रतिशत
2000	170,940	–5.05 प्रतिशत
1990	212,743	2127.91 प्रतिशत
1981	3510	–94.14 प्रतिशत
1974	59,900	1.80 प्रतिशत
1964	44,000	2.27 प्रतिशत

(स्त्रोतः www.macrotrends.net)

'kj.kkFkhZ lacaf/kr Hkkjr dh uhfr

- भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है, इसके बावजूद इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।
- विदेशी अधिनियम 1946 शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं के समाधान करने में विफल रहता है। यह केंद्र सरकार को किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने के लिए शक्ति भी देता है।
- इसके अलावा नागरिक संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 में से मुसलमानों को बाहर रखा गया है और यह केवल हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बांग्लादेश पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आए बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।
- इसके अलावा भारत वर्ष 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और शरणार्थी संरक्षण के संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज 1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है।
- वर्ष 1951 और 1967 प्रोटोकॉल के पक्ष में नहीं होने के बाद भी भारत में शरणार्थियों की संख्या निवास करती है।

- भारत में विदेशी लोगों और संस्कृति को आत्मसात करने की एक परंपरा है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार और जीने का अधिकार उपलब्ध है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद –21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस भेजे जाने यानि (Non-Refoulement) का अधिकार शामिल है।
- Non- Refoulement, अंतरर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
- भारत ने अब तक शरणार्थियों पर कानून क्यों नहीं बनाया। शरणार्थी बनाम अप्रवासी हाल के दिनों में पड़ोसी देशों के कई लोग भारत के राज्य उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अवैध रूप से भारत आए है।
- जबकि वास्तविकता यह है कि देश में अधिकतर बहस शरणार्थी के बजाय अवैध प्रवासियों को लेकर होती है। ऐसी स्थिति में समानता दोनों श्रेणियों को एकीकृत कर दिया जाता है।
- dkuu dk n#i;kx% देशद्रोहियों, आतंकवादियों और आपराधिक तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता जा सकता है और इससे देश पर वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- अस्पष्टताः कानून की अनुपस्थिति में भारत के लिए शरणार्थियों के प्रवासन पर निर्णय लेने हेतु तमाम विकल्प खुले हैं। भारत सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध अप्रवासी घोषित कर सकती है।
- उदाहरण के लिए UNHCR के सत्यापन के बावजूद भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों (राज्य विहीन इंडो –आर्यन जाति समूह जो, राज्य म्यांमार में रहते हैं) से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के प्रयोग का निर्णय लिया गया।

'kj.kkFk;k ij dkuu dh vko';drk

- nh?kdkyhu 0;kogkfjd lekèkku% भारत अक्सर शरणार्थियों के बड़ी संख्या का सामना करता है। इसलिए एक दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है ताकि भारत एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाकर अपने धर्मार्थ दृष्टिकोण से अधिकार–आधारित दृष्टिकोण में बदलाव कर सके।
- ekuokfèkdkj dk ikyu djuk% एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सभी प्रकार के शरणार्थियों के लिए शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा और अंतरर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों की गारंटी देगा।
- सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करना यह भारत की सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं की आड़ में कोई गैर– कानूनी हिरासत या निर्वासन ना किया जाए।
- 'kj.kkFk;k dk mipkj e vlxfr% भारत में शरणार्थी आबादी का बड़ा हिस्सा श्रीलंका,तिब्बत और अफगानिस्तान से आए लोगों का है। हालांकि केवल तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें सरकार द्वारा तैयार की गई विशिष्ट नीतियों एवं नियमों के माध्यम से सुरक्षा व सहायता प्रदान की जाती है।

fu"d"k

यह सत्य है कि अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर विवश विस्थापन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय आरंभ हुई यह भयावह स्थिति आधुनिकता के इस दौर में भी समाप्त नहीं हो सकी है। शरणागत राष्ट्रों की समस्या यह है कि वह अभी भी पर्यावरण तथा विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित कर अपने नागरिकों को

सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, इस स्थिति में वह शरणागत शरणार्थियों की रक्षण तथा उनके अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार कर सकेंगे।

भारत में पड़ोसी देशों से कई लोग उत्पीड़न और भुखमरी के कारण भारत आते हैं उन्हें हमारे देश में शरण अर्थात् आश्रय दिया जाता है। शरणार्थियों के लिए एक अलग नीति बनाना चाहिए, जिससे शरणार्थियों को आश्रय मिले और देश के संसाधनों पर भी समस्या का कारण ना बने। भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक शरणार्थी आबादी है, आज तक उनके आश्रय के लिए समान कानून नहीं बनाए गए हैं।

I inHk I ph

1. ww.dhyeyaisa.com
2. ww.dristiisa.com
3. wwf.mreview.org
4. wwf.oreigpolicy.com
5. ww.hindilibraryindia.com
6. ww.isa4sure.com
7. ww.isaexpres.com
8. ww.indisapend.com
9. ww.lowyinstitute.org
10. ww.macrotrends.net
11. ww.migrationpolicy.org
12. ww.ohindi.in.com
13. ww.orfonline.com
14. ww.toppr.com
15. ww.unacademy.com

——==00==——